प्रेस विज्ञप्ति

24/04/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पात्रा चॉल पुनर्विकास मामले में 73.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला गोरेगांव, मुंबई में मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) द्वारा संचालित पात्रा चॉल परियोजना के पुनर्विकास में अनियमितताओं से संबंधित है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी प्रवीण राउत और उनके करीबी सहयोगियों के पालघर, दापोली, रायगढ़ और ठाणे एवं उसके आसपास स्थित कई भू-खण्ड शामिल हैं।

ईडी ने कार्यकारी अभियंता, म्हाडा, मुंबई द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मेसर्स जीएसीपीएल, राकेश कुमार वाधवान, सारंग कुमार वाधवान और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और आरोप पत्र दिनांक 11.12.2020 के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स जीएसीपीएल, जिसे 672 किरायेदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चॉल परियोजना के पुनर्विकास का काम सौंपा गया था, महत्वपूर्ण वित्तीय कदाचार में शामिल रही है। सोसायटी, म्हाडा और जीएसीपीएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें डेवलपर (जीएसीपीएल) को 672 किरायेदारों को फ्लैट प्रदान करना था, म्हाडा के लिए फ्लैट विकसित करना था और उसके बाद शेष भूमि क्षेत्र को बेचना था। हालांकि, मेसर्स जीएसीपीएल के निदेशकों ने म्हाडा को गुमराह किया और 672 विस्थापित किरायेदारों लिए पुनर्वास हिस्से और म्हाडा के लिए फ्लैटों का निर्माण किए बिना, 9 डेवलपर्स को धोखाधड़ी से फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बेच कर रुपये 901.79 करोड़ (लगभग) की राशि एकत्र करने में कामयाब रहे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि पीओसी का एक हिस्सा, जिसकी कीमत 95 करोड़ रुपये है, मेसर्स जीएसीपीएल के निदेशक प्रवीण राउत ने अपने निजी बैंक खातों में भेज दिया था। आय का एक हिस्सा सीधे किसानों या भूमि एग्रीगेटर्स से उनके स्वयं के नाम पर या उनकी फर्म मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स के नाम पर विभिन्न भू-खण्डों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा, पीओसी का कुछ हिस्सा उसके द्वारा संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के पास रखा गया था। इसके अलावा, प्रवीण राउत द्वारा पीओसी से हासिल की गई कुछ संपत्तियां बाद में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को उपहार में दे दी थीं। किसानों से अर्जित भू-खण्ड, परिवार के सदस्यों को उपहार में दी गई संपत्ति और प्रवीण राउत और सहयोगियों को पीओसी से प्राप्त समतुल्य संपत्तियों के रूप में अपराध की ऐसी पहचानी गई आय को इस पीएओ में कुर्क किया गया है, जिसकी राशि रुपये 73.62 करोड़ है।

इससे पहले इस मामले में, प्रवीण राऊत और संजय राऊत की रुपये 11.15 करोड़ की संपत्ति ईडी द्वारा कुर्क की गई थी, जो प्रवीण राउत को मिले 95 करोड़ रुपये के उक्त पीओसी का हिस्सा पाई गई थी। इसके अलावा, गोवा में स्थित संपत्तियों के रूप में राकेश कुमार वाधवान और सारंग वाधवान की 31.50 करोड़ रुपये की संपत्ति भी इस कार्यालय द्वारा कुर्क की गई थी। अतः ईडी ने इस मामले में अब तक रुपये 116.27 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

जाँच के दौरान, प्रवीण राउत और उनके सहयोगी संजय राउत को धन शोधन के अपराध में शामिल होने के लिए दिनांकः 02.02.2022 और 01.08.2022 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, दोनों आरोपी दिनांकः 09.11.2022 को पीएमएलए के तहत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर हैं।

ईडी ने राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, प्रवीण राउत और मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध पीएमएलए के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2022 को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद, राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और संजय राऊत के विरुद्ध दिनांकः 15.09.2022 को पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है। इसका संज्ञान विशेष पीएमएलए न्यायालय ने लिया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।